डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, सोमवार , दिनांक 2 जुलाई 2001—आषाढ़ 11, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक डी/3258/5/1667/21-ब (छग)/2001.—स्थापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्या-61) की धारा 36 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, छतीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6-89-21-अ(1), दिनांक 3-4-1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित जिले पर कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को पदस्थ किया जाता है, अर्थात :—

अनुक्रमांक (1)	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम (2)	पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम (3)	जिले का नाम (4)
1.	श्रीमती शकुन्तला दास	श्री दिनकर काशीनाथ दामले	दुर्ग

Raipur, the 25th June 2001

NOTIFICATION

No. D/3258/5/1667/21-B (Chh.)/2001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in this department Notification No. F-1-6-89/21-A(1) dated 3-4-1998.

AMENDENT

In the said notification, in Schedule for the officers mentioned in column (2) of the Schedule the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (iv) of the said Schedule, namely :—

S. No. (1)	Name of the existing presiding officer. (2)	Name of the newly posted judicial officer (3)	Name of the district (4)
1.	Smt. Shakuntala Das	Shri, Dinker Kashinath Damle	Durg

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.